

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक— प्र06—विविध—01/2023

26/8

/खाद्य, पटना/दिनांक 15/06/2023

प्रेषक,

संगीता सिंह,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :— राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत माह अगस्त, 2023 हेतु खाद्यान्न उपावंटन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक 1-8/2013-BP-III(Vol.II) (e-323732) दिनांक 01.06.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अन्तर्गत माह अगस्त, 2023 हेतु खाद्यान्न का निम्नवत् मासिक आवंटन प्राप्त है :

चावल — 368473.364 मे0 टन
गेहूँ — 92118.341 मे0 टन
कुल — 460591.705 मे0 टन

2. कतिपय जिलों से अतिरिक्त खाद्यान्न की अधियाचना एवं कतिपय जिलों से खाद्यान्न भंडारण की समस्या के कारण खाद्यान्न के प्रत्यपण के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अधीन अन्त्योदय श्रेणी के लाभुकों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न (7 किलोग्राम गेहूँ एवं 28 किलोग्राम चावल) की दर से तथा पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के लाभुकों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न (1 किलोग्राम गेहूँ एवं 4 किलोग्राम चावल) की दर से माह अगस्त, 2023 हेतु जिलावार तालिका के अनुसार खाद्यान्न का मासिक आवंटन निम्नवत् किया जाता है :—

मात्रा क्विंटल में

क्र०	जिला का नाम	अन्त्योदय परिवारों हेतु 35 किलो प्रति परिवार (7 किलो गेहूँ एवं 28 किलो चावल) की दर से खाद्यान्न का आवंटन		माह अगस्त, 2023 हेतु पूर्विकताप्राप्त श्रेणी अन्तर्गत खाद्यान्न का आवंटन		कुल गेहूँ (3+5)	कुल चावल (4+6)	कुल खाद्यान्न (7+8)
		गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प0 चम्पारण	8319.36	33277.44	33224.65	158818.60	41544.01	192096.04	233640.05
2	पूर्वी चम्पारण	9852.99	39411.96	32269.88	200239.52	42122.87	239651.48	281774.35
3	शिवहर	980.56	3922.24	5214.42	8003.77	6194.98	11926.01	18120.99
4	सीतामढ़ी	5325.39	21301.56	27023.58	143094.32	32348.97	164395.88	196744.85
5	मधुबनी	10779.23	43116.92	19802.98	108851.92	30582.21	151968.84	182551.05
6	सुपौल	3693.27	25739.28	24607.88	105341.84	28301.15	131081.12	159382.27
7	अररिया	5217.10	20868.40	15162.85	119131.40	20379.95	139999.80	160379.75
8	किशनगंज	4557.35	18229.40	24446.62	49786.48	29003.97	68015.88	97019.85
9	पूर्णिया	4589.55	18358.20	26959.34	107837.36	31548.89	126195.56	157744.45
10	कटिहार	3785.46	15141.84	18394.10	101576.40	22179.56	116718.24	138897.80
11	मधेपुरा	2847.18	11388.72	16321.72	65286.88	19168.90	76675.60	95844.50
12	सहरसा	2735.39	10941.56	16180.17	81029.32	18915.56	91970.88	110886.44
13	दरभंगा	6467.16	25868.64	3781.68	100126.72	10248.84	125995.36	136244.20
14	मुजफ्फरपुर	9835.84	39343.36	33254.95	149019.80	43090.79	188363.16	231453.95

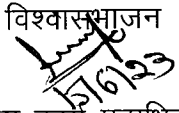
क्र०	जिला का नाम	अन्योदय परिवारों हेतु 35 किलो प्रति परिवार (7 किलो गेहूँ एवं 28 किलो चावल) की दर से खाद्यान्न का आवंटन		माह अगस्त, 2023 हेतु पूर्वताप्राप्त श्रेणी अन्तर्गत खाद्यान्न का आवंटन		कुल गेहूँ (3+5)	कुल चावल (4+6)	कुल खाद्यान्न (7+8)
		गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	गोपालगंज	4475.03	17900.12	28529.16	88920.12	33004.19	106820.24	139824.43
16	सिवान	3768.17	15072.68	32681.10	137400.92	36449.27	152473.60	188922.87
17	सारण	7065.03	28260.12	23015.01	92060.04	30080.04	120320.16	150400.20
18	वैशाली	5922.84	23691.36	26514.24	0.00	32437.08	23691.36	56128.44
19	समस्तीपुर	7432.18	29728.72	9086.35	94265.36	16518.53	123994.08	140512.61
20	बेगूसराय	5207.93	20831.72	3269.93	21079.72	8477.86	41911.44	50389.30
21	खगड़िया	3386.95	13547.80	13932.94	55731.76	17319.89	69279.56	86599.45
22	भागलपुर	3909.85	15639.40	22505.04	106020.16	26414.89	121659.56	148074.45
23	बांका	2470.02	9880.08	16422.62	42690.48	18892.64	52570.56	71463.20
24	मुंगेर	2741.55	0.00	0.00	0.00	2741.55	0.00	2741.55
25	लखीसराय	1114.47	4457.88	17635.11	38934.80	18749.58	43392.68	62142.26
26	शेखपुरा	837.06	3348.24	4155.99	16623.96	4993.05	19972.20	24965.25
27	नालन्दा	5993.26	23973.04	43153.50	87614.00	49146.76	111587.04	160733.80
28	पटना	8591.31	34365.24	7076.43	69105.72	15667.74	103470.96	119138.70
29	भोजपुर	4605.02	18420.08	17422.41	115689.64	22027.43	134109.72	156137.15
30	बक्सर	2131.22	8524.88	23429.17	63716.68	25560.39	72241.56	97801.95
31	कैमूर	3008.53	12034.12	27937.40	46749.60	30945.93	58783.72	89729.65
32	रोहतास	3674.51	14698.04	16764.60	67058.40	20439.11	81756.44	102195.55
33	औरंगाबाद	3837.89	15351.56	15627.09	59144.75	19464.98	74496.31	93961.29
34	गया	6307.77	25231.08	47652.73	180610.92	53960.50	205842.00	259802.50
35	नवादा	3268.44	13073.76	15564.42	62257.68	18832.86	75331.44	94164.30
36	जमुई	3396.75	13587.00	12513.50	0.00	15910.25	13587.00	29497.25
37	जहानाबाद	1667.40	6669.60	20268.56	25877.68	21935.96	32547.28	54483.24
38	अरवल	1270.99	5083.96	4311.29	14756.92	5582.28	19840.88	25423.16
योग :-		175070.00	700280.00	746113.41	2984453.64	921183.41	3684733.64	4605917.05

3. इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी विभागीय पत्रों को उपरोक्त वर्णित माह हेतु इस अंश तक संशोधित समझा जाए।

4. उक्त के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जिलान्तर्गत पहचान किये गये पात्र गृहस्थियों को वितरित किये गये वास्तविक राशन कार्ड के आधार पर खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित कराया जाए। जिलों में नये राशन कार्ड के निर्गमन एवं अपात्र लाभुकों के राशन कार्ड के रद्दकरण के आलोक में समय-समय पर आवश्यकतानुसार खाद्यान्न के आवंटन को संशोधित किया जा सकता है। इस आवंटन के आलोक में यदि जिले में अतिरेक खाद्यान्न हो तो उसे निश्चित रूप से प्रत्यर्पित कर दिया जाए।

अनुरोध है कि तदनुसार खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित किया जाए एवं प्रत्येक माह के उठाव एवं वितरण संबंधी सूचना अन्न वितरण पोर्टल पर अपलोड करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र अगले माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराई जाए।

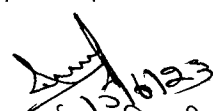
अनु०:- 02 पन्ने।

विश्वासभाजन

 विशेष कार्य पदाधिकारी।

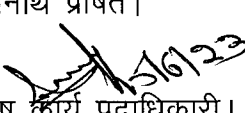
ज्ञापांक- प्र06-विविध-01/2023 2618 /खाद्य, पटना/दिनांक 15/06/2023
प्रतिलिपि- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना एवं
महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, अरुणाचल भवन, एकजीविशन रोड, पटना को सूचना एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


विशेष कार्य पदाधिकारी।

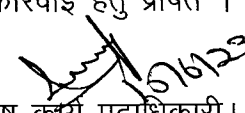
ज्ञापांक- प्र06-विविध-01/2023 2618 /खाद्य, पटना/दिनांक 15/06/2023
प्रतिलिपि- अध्यक्ष, बिहार राज्य खाद्य आयोग/सभी सदस्य, बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना/सभी
अपर समाहर्ता-सह- जिला शिकायत निवारण अधिकारी/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण
विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव एवं सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के
प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।


विशेष कार्य पदाधिकारी।

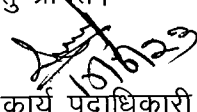
ज्ञापांक- प्र06-विविध-01/2023 2618 /खाद्य, पटना/दिनांक 15/06/2023
प्रतिलिपि- श्री सुब्रत सान्याल, अवर सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।


विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक- प्र06-विविध-01/2023 2618 /खाद्य, पटना/दिनांक 15/06/2023
प्रतिलिपि- अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना/ सभी
जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक- प्र06-विविध-01/2023 2618 /खाद्य, पटना/दिनांक 15/06/2023
प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट
पर अपलोड करने एवं सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित ।


विशेष कार्य पदाधिकारी।

49

F.No.1-8/2013-BP.III (Vol.II) [e-323732] (ii)
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated: 01.06.2023

To,

1. The Principal Secretaries/Secretaries,
Food and Civil Supplies Department,
State Govt of Bihar
2. The Chairman-Cum-Managing Director,
Food Corporation of India, New Delhi.

Subject: Revised allocation of foodgrains to Bihar under NFSA from July, 2023 onwards- reg.

Sir/Madam,

I am directed to refer to this Department's letter No. 7-1/2019-BP-III(Pt-V)[e-376706](i) dated 12.04.2023 (copy enclosed) wherein out of total savings of 4,48,959.20 MT rice [under PMGKAY(upto Phase VII)], a partial quantity of 2,24,479.60 MT rice had been adjusted against NFSA allocation of June, 2023 month for Bihar. Accordingly, it has been decided to adjust the remaining savings of 2,24,479.60 MT PMGKAY (Upto Phase VII) rice against NFSA allocation for July, 2023 month w.r.t. Bihar.

2. Further, in order to ensure management of foodgrain stocks as per norms, to position rice stock for distribution of fortified rice, to ease the pressure on the logistics and after due consultations it has been decided to further continue the existing wheat/rice ratio from July, 2023 onwards or until further orders, for Bihar in accordance with this Department's letter No 1-8/2013-BP.III(Vol.II) dated 13.05.2022 and subsequent letter No 1-8/2013-BP.III(Vol.II) [e-323732](vi) dated 28.02.2023 (copy enclosed).

3. In view of the above, the revised monthly allocation of food grains to Bihar under NFSA, from July, 2023 onwards, will be as under:-

For July, 2023 month:

Revised allocation for July, 2023 after adjustment of 2,24,479.60 MT rice remaining under PMGKAY (upto Phase VII) :

(in Tons)

Rice	Wheat	Total
143993.76	92118.34	236112.10

For August, 2023 onwards :

Allocation Category	Monthly quantity (in tons)			Issue price per kg(in Rs.)	
	Wheat	Rice	Total	Wheat	Rice
AAY	17507.000	70028.000	87535.000	0	0
PHH	74611.341	298445.364	373056.705		
Total	92118.341	368473.364	460591.705		

4. The validity period for lifting the above revised allocation for the above months will be as per the existing instructions conveyed vide this Department's letter No.1-2/2007-BP.III dated 11.07.2014.

5. This issues with the approval of competent authority vide Note No. 689 dated 01.06.2023 and concurrence of IFD vide its Note No. 681 dated 01.06.2023.

Enclosure: as above

Yours faithfully,

(Subrata Sanyal)

Under Secretary to the Govt. of India
Email ID: usbp.fpd@gov.in

Com/d. - P/2

Copy to:

1. AS &FA, DFPD
2. Sr. Economic Adviser (NFSA)
3. JS(BP&PD)/JS(Policy & FCI), DFPD
4. The Resident Commissioner, respective State/UT, New Delhi.
5. ED (Sales) /General Manager (Sales), FCI (HQ), New Delhi.
6. Dir. (Fin & Budget)/ Dir. (PD)/ Dir (Movt.) / Dir. (Pol.I)/JD (NFSA)/ DS (Finance)/DS (BP)/DS (FC A/cs)
7. The GM, FCI, Regional Offices, concerned.
8. NFSA/BP-I/PD-I/PD-II/PD-III/Movt.I/FC A/cs Section
9. NIC, Deptt. of Food & PD – with the request to upload this allocation letter on the official website of this Department.
10. State file / Guard file